f !supportEmptyParas]>

Title: Need to direct State Government of Bihar for early election to Panchayats in the State.

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया): सभापति महोदया, बिहार देश में एक ऐसा प्रान्त है, जहां २० वर्षों से पंचायत चुनाव नहीं हुए हैं, जबकि संविधान के ७३वें संशोधन में यह स्पष्ट व्यवस्था है कि प्रत्येक पांच वर्ष पर चुनाव होना अति आवश्यक हैं। पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण कार्रवाई का सारा कार्य पंचायत सेवक एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा कराया जाता है। लगता है कि गांधी जी का सपना बिहार में अधूरा रह जायेगा। बिहार सरकार द्वारा बार-बार यह कहना कि मामला कोर्ट में लम्बित है, सही नहीं है। बल्कि सही यह है कि मामला अभी तक न तो सुप्रीम कोर्ट में स्थगित है और न ही उच्च न्यायालय द्वारा ही पंचायत चुनाव पर रोक लगाई गई है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि बिहार में अविलम्ब पंचायत चुनाव कराकर संविधान की रक्षा करें। इसके लिए राज्य सरकार को निर्देशित करें।